

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 (II) OF

THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES.

New Delhi, dated: 14-9-83

NOTIFICATION
INCOME-TAX

No. 5390 (F.No. 261/1/82-ITD): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax or Super Tax in the Income-tax Circles, Wards or Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof:-

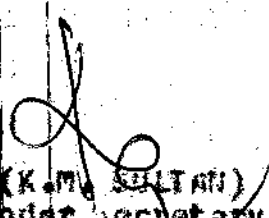
SCHEDULE

<u>SNO.</u>	<u>RANGE</u>	<u>INCOME-TAX CIRCLES/WARDS OR DISTRICTS</u>
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax (Central) Range-I, Bombay.	1. Central Circles I to IX
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax (Central) Range-II, Bombay	1. Central Circles X to XVII
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax (Central) Range-III, Bombay	1. Central Circles XVIII to XXXVIII

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date of this Notification take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate

Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle,
Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 16-7-1903.


(K.M. SULTAN)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes.

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The Commissioner of Income-tax, Central - I, Bombay
2. The Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Maharishi
Kuru & Boro, Bombay.
3. The AD I(RS&P) Bulletin Section, New Delhi.
4. Joint Secretary & Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. ED Sec./Ad VI Sec./27 CC Sec.


(K.M. SULTAN)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes.

भारत के राजपत्र के भाग 11 बंड 3(11) में प्रकाशित

भारत सरकार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 14-9-83

अधिसूचना

(अधकर)

सं० S390 (फा० सं० 261/1/82-आ० फ० नं० 10) : अधकर अधिनियम, 1961 (1961 च 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिभार देने वाली कय सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिर्लघन करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निवेद देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रैंजों के अपेक्षित सहायक अधकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधकर परिमंडलों, बाडों अथवा जिलों में अधकर या अधिभार कर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे :-

अनुसूची

क्र०सं०	रैंज	अधकर परिमंडल/बाड या जिले
1	2	3
1.	अपेक्षित सहायक अधकर आयुक्त (केंद्रीय), रैंज-I कबई ।	1. केंद्रीय परिमंडल I से IX तक
2.	अपेक्षित सहायक अधकर आयुक्त (केंद्रीय), रैंज-II, कबई ।	1. केंद्रीय परिमंडल X से XVII तक
3.	अपेक्षित सहायक अधकर आयुक्त (केंद्रीय), रैंज-III, कबई ।	1. केंद्रीय परिमंडल XVIII से XXXVIII तक

(क०प०उ०)

जहाँ कोई अधिकार परिचालन, वाई अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतर्भूत कर दिया जाता है, उस अधिकार परिचालन, वाई अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में एक गुरु कर्मीन्धारियों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अप्रतिष्ठ सहायक आयुक्त के समस्त विचारणीय पड़ी अवधि, जिसके अधिकार क्षेत्र से उस अधिकार परिचालन, वाई अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतर्भूत किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अप्रतिष्ठ सहायक आयुक्त को अंतर्भूत की जायगी और उसके द्वारा नियंत्रणी जायगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उस परिचालन, वाई अथवा जिला अथवा उसका उसका कोई भाग अंतर्भूत किया गया हो ।

यह अधिसूचना 16-7-1983 से लागू होगी ।


 (के. ए. ए. सु. तान)
 जवर सचिव,
 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

माध्यापुरी, नई दिल्ली ।